(26)

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 575–दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 23–12–11 पारित अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 314/2010–11 अपील.

1– श्रीमती गंगादेवी विधवा पत्नी स्व. शंकरदीन सेन
2– मुकुटबिहारी सेन तनय स्व. शंकरदीन सेन
3– मुकेश कुमार सेन स्व. शंकरदीन सेन
4– सूरजकुमार सेन स्व. शंकरदीन सेन,अव्यस्क संरक्षक माँ गंगादेवी
5– श्रीमती सरोज देवी धर्मपत्नी शोभनाथ सेन पुत्री स्व. शंकरदीन सेन
सभी निवासी मोहल्ला पाण्डेनटोला, सिटी कोतवाली, तह. हुजूर
6– श्रीमती सन्तोष देवी धर्मपत्नी रामभजन सेन पुत्री स्व. शंकरदीन सेन
नि0 ग्राम बेढ़ौआ, थाना बेकुण्ठपुर, तह. सिरमौर
7– श्रीमती विद्यादेवी धर्मपत्नी दिनेशकमार पुत्री स्व. शंकरदीन सेन
नि0 ग्राम नौढ़िया, तहसील एवं जिला सीधी
8– श्रीमती सरस्वती देवी धर्मपत्नी रमेशकुमार पुत्री स्व. शंकरदीन सेन
नि0 ग्राम नौढ़िया, तहसील एवं जिला सीधी
9– श्रीमती लक्ष्मीदेवी धर्मपत्नी अजयकुमार पुत्री स्व. शंकरदीन
नि0 ग्राम पटौता, तहसील गुढ़, जिला रीवा

––– आवेदकगण

विरूध्द

1– राजमोहन सेन उर्फ लल्लू तनय स्व. रामनिहोर
नि0 मोहल्ला पाण्डेन टोला, तह. हुजूर, जिला रीवा
2– श्रीमती शान्ती देवी विधवा स्व. रामदास पुत्री स्व. रामनिहोर
नि0 सन्तोषी माता मंदिर, टेकहा, तह0 हुजूर
3– श्रीमती मायादेवी उर्फ छोटेबाई पत्नी राममेहश
पुत्री स्व. रामनिहोर, नि0 सर्रा पीपर, रांझी, जबलपुर
4– श्रीमती दला सेन उर्फ बिट्टी पत्नी रमेश पुत्री स्व. रामनिहोर
नि0 गैस गोदाम के सामने सिध्दार्थनगर, सतना
5– कु. सुमन उर्फ गुधन पुत्री स्व. चन्द्रमोहन सेन
6– राहुल सेन उर्फ लाला तनय स्व. चन्द्रमोहन सेन
7– रोहितसेन उर्फ बुल्ली तनय स्व. चन्द्रमोहन सेन
क 5 से 7 नि0 मोहल्ला पाण्डेनटोला, तह. हुजूर जिला रीवा

–– अनावेदकगण

(signature) 21.7.2014

श्री अमर ज्योति गुप्ता, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री जयप्रकाश मिश्रा, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 21 . 4 . – 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 314 / अपील / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 23–12–2011 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि शंकरदीन व्दारा प्लाट नं0 2885 रकबा 0.08 डि. पर नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार, नजूल ने अपने आदेश दिनांक 30–8–02 व्दारा प्रश्नाधीन प्लाट पर शंकरदीन के नामान्तरण के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द रामनिहोर व्दारा अपील नजूल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नजूल अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 03–08–10 में यह निष्कर्ष निकाला कि तहसीलदार, नजूल ने अपने आदेश दिनांक 29–6–65 व्दारा प्रश्नाधीन प्लाट 2885 के कुल रकबा 0–08 में से 06 डि. पर रामनिहोर तथा 0.02 डि. पर शंकरदीन के नामान्तरण के आदेश दिये, इस कारण इसी प्रश्नाधीन भूमि पर पुनः नामान्तरण के आदेश विचारण न्यायालय व्दारा नहीं दिये जा सकते। अतः नजूल अधिकारी व्दारा अपील स्वीकार कर तहसील का आदेश निरस्त किया। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी अपील अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 23 12 11 व्दारा खारिज की गयी है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि एकबार नामान्तरण होने के बाद उसी भूमि का नामान्तरण किया जाना प्राकृतिक न्याय के विरूध्द है तथा अपीलार्थी का दावा मान.

सिविल न्यायालय व्दारा भी निरस्त हो चुका है। इस आदेश के विरुध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। निगरानी आवेदन में आवेदकगण व्दारा मुख्य रूप से यह मुद्दा प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के पूर्वज कंधी नाई के नाम दर्ज हैं जो काफी समय पूर्व मृत हो गये हैं। मृत रामनिहोर व्दारा कराया गया नामान्तरण फर्जी एवं कूटरचित है जिसकी कोई जानकारी ना तो शंकरदीन को थी और ना ही आवेदकगण को है। नजूल खसरों में भी नामान्तरण की कोई इत्तलायाबी दर्ज नहीं है। इस संबंध में उनका यह भी तर्क है कि तथाकथित नामान्तरण तहसीलदार, हुजूर व्दारा पारित है जो अधिकारितारहित है क्योंकि तहसीलदार को नजूल भूमि पर नामान्तरण की अधिकारिता नहीं है। नजूल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील समयावधि थी। समयावधि विधान की धारा 5 में दर्शित आधार पूर्णतया निराधार एवं बनावटी है और प्रत्येक दिन के विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार कर तहसील का आदेश पुनर्स्थापित करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का यह तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पूर्व में तहसीलदार, नजूल व्दारा आदेश दिनांक 29–6–65 पारित किया जा चुका है, इस कारण पुनः नामान्तरण करने की अधिकारिता तहसील को नहीं थी। तहसील न्यायालय में रामनिहोर को पक्षकार नहीं बनाया गया और ना ही उसे सुनवायी का अवसर प्रदान किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी होने पर नजूल अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो जानकारी के दिनांक से समयावधि में थी। उनका यह भी तर्क है कि सिविल न्यायालय व्दारा प्रश्नाधीन प्लाट के संबंध में शंकरदीन का दावा खारिज किया गया है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया

5/ नजूल अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 03–08–2010 में यह निष्कर्ष निकाला है कि तहसीलदार, नजूल ने अपने आदेश दिनांक 29–6–65 व्दारा प्रश्नाधीन प्लाट 2885 के कुल रकबा 0–08 में से 06 डि. पर रामनिहोर तथा 0.02 डि. पर शंकरदीन के नामान्तरण के आदेश दिये, इस कारण इसी प्रश्नाधीन भूमि पर पुनः नामान्तरण के आदेश विचारण न्यायालय व्दारा नहीं दिये जा सकते। नजूल अधिकारी व्दारा निकाले गये उक्त निष्कर्ष की पुष्टि नजूल अधिकारी के अभिलेख पृष्ठ 135 से 141 पर उपलब्ध दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियों की छाया प्रति से होती है। तहसीलदार के समक्ष नामान्तरण आवेदनपत्र कंधी की मृत्यु होने पर शंकरदीन एवं रामनिहोरे व्दारा प्रस्तुत किया गया तथा तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 17/ए–6/64–65 में आदेश दिनांक 29–6–65 द्वारा प्रश्नाधीन प्लाट नं0 2886 के 06 डि. पर रामनिहोर तथा 0.02 डि. पर शंकरदीन के नामान्तरण के आदेश दिये हैं। नजूल अधिकारी के अभिलेख पृष्ठ 145 पर उपलब्ध राजस्व निरीक्षक, नजूल के प्रतिवेदन दिनांक 23–6–82 में यह अंकित है कि 'मुताबिक आवेदनपत्र बन्दो. खसरा नं0 2885 रकबा 0.08 में कंन्धी हजाम का नाम दर्ज है जो मुता. आदेश तहसील हुजूर दिनांक 29–6–85 प्र.क. 17/ए–6/64–65 बन्दो. खसरा नं0 2885 में से 0.02 डि. शंकरदीन नाई तथा 0.06 डि. में रामनिहोर नाई का नाम दर्ज है/किया गया है।' कन्धी की मृत्यु के उपरान्त प्रश्नाधीन प्लाट पर तहसील न्यायालय व्दारा नामान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न किये जाने के उपरान्त पुनः तहसील न्यायालय को नामान्तरण की अधिकारिता नहीं है। यदि आवेदकगण या उनके पिता शंकरदीन उक्त नामान्तरण आदेश से असन्तुष्ट थे तो उन्हें सक्षम न्यायालय में उसे चुनौती दी जाना चाहिये थी। शंकरदीन व्दारा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन में रामनिहोर को पक्षकार नहीं बनाया गया और ना ही तहसीलदार व्दारा आदेश दिनाक 30–8–02 पारित करने के पूर्व रामनिहोर को सुनवायी का कोई अवसर प्रदान किया और ना ही रामनिहोर को आदेश की सूचना देने का प्रमाण है। संहिता की धारा

47 के व्दितीय परन्तुक के अनुसार ऐसे प्रकरणों में जहॉ आदेश पारित करने के दिनांक की सूचना ना ही समयावधि की गणना आदेश की संसूचना/जानकारी के दिनांक से करने का प्रावधान है। ऐसी दशा में नजूल अधिकारी व्दारा अपील समयावधि में मान्य करने में भी कोई त्रुटि नहीं की गयी है। षष्टम अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) रीवा ने भी व्यवहार अपील 91ए/2004 रामनिहोर एवं राजमोहन विरूध्द मृत शंकरदीन निर्णय दिनांक 29–9–04 व्दारा प्रश्नाधीन प्लाट नं. 2885 के संबंध में अपील स्वीकार कर व्दितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 व्दारा दी गयी स्थाई निषेधाज्ञा एवं डिकी को खारिज किया गया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग का आदेश दिनांक 23–12–11 तथा नजूल अधिकारी का आदेश दिनांक 03–08–10 यथावत रखे जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0